

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/171586/JNP/JAUNPUR/1592/CFO

दिनांक : 10-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **R.P.D PUBLIC SCHOOL** पता **128,AKAUNI, PESARA,JAUNPUR** तहसील - **KERAKAT** प्लॉट एरिया **3591.30 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4060** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
academic block	2	0	6.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **R.P.D PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **26-09-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **OM NARAYAN YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-09-2025** से **26-09-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **R.P.D PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **R.P.D PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1-अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर भवन भूतल एवम् प्रथम तल तक निर्मित है, भूतल एवं प्रथम तल पर विद्यालय संचालित है जिसमें ढांचागत अधिभोग (आक्यूपेंसी) परिवर्तन या विस्तार कराए जाने के लिए अग्निशमन विभाग को सूचित या अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 2.भवन में अग्नि सुरक्षा प्रणाली अधिष्ठापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई जिसे सदैव उपलब्ध एवं कार्यशील दशा में रखा जाए तथा समस्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से जोड़े रखा जाए 3. अग्नि सुरक्षा प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को आकस्मिकता में संचालन हेतु सदैव प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रखा जाए।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Prakash Rai

EE2271CB0A164031AF65D24F156AD8B3A93C24E9

27-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-09-2025
स्थान : JAUNPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.